अध्याय V

पी एस बी के पुनर्पूंजीकरण का विश्लेषण

5.1 पी एस बी के पूँजीकरण के लिए तर्क

भारत सरकार ने 2008–09 तथा 2016–17 की अवधि के दौरान इस उम्मीद से पी एस बी में पूँजी प्रवाह किया कि पी एस बी के पास क्रेडिट बढ़ाने के लिए बेहतर क्षमता होगी, साथ ही बेसल/आर बी आई के मानदंडों के अनुसार विनियामक पूँजी आवश्यकताएँ बनी रहेगी। जी ओ आई शेयरधारिता के पूर्व निर्धारित बेंचमार्क स्तर (दिसंबर 2010 में 58 प्रतिशत और दिसंबर 2014 में 52 प्रतिशत) को बनाए रखने को भी परिकल्पित किया गया था, ताकि अतिरिक्त पूँजी आवश्यकताओं के लिए बाजारों को टैप करने में सक्षम हो। वर्ष 2014–15 के लिए, पी एस बी के प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए पूँजी प्रवाह किया गया।

5.2 पी एस बी का दो श्रेणियों में पृथक्करण

2008–16 के दौरान जी ओ आई के पूँजी प्रवाह के आधार पर उनकी नेटवर्थ के प्रतिशत के रूप में पी एस बी को तीन श्रेणियों में विभक्त करके, डी एफ एस ने पी एस बी को पूँजी प्रवाह की तुलना में प्रभावोत्पादकता निश्चित करने हेतु उनके प्रदर्शन की समीक्षा (जुलाई 2016) की। श्रेणी I में वे पी एस बी है जिन्होंने 2008–16 के दौरान अपनी नेटवर्थ की 25 प्रतिशत से कम पूँजी प्राप्त की थी; श्रेणी II में वे पी एस बी है, जिन्होंने अपनी वर्तमान नेटवर्थ की 25 से 50 प्रतिशत तक पूँजी प्राप्त की थी तथा श्रेणी III में वे पी एस बी है जिन्होंने अपनी नेटवर्थ की 50 प्रतिशत से अधिक की पूँजी प्राप्त की थी।

लेखापरीक्षा ने पी एस बी के श्रेणी विभेदीकरण के लिए श्रेणी II तथा III को विलय कर पी एस बी की निम्न दो श्रेणियों को अपनाया है:

- **श्रेणी I:** वे पी एस बी जिन्होंने 2008–16 के दौरान अपनी नेटवर्थ (31 मार्च 2016 को) के 25 प्रतिशत से कम का पूँजी प्रवाह प्राप्त किया। बारह पी एस बी – इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सिंडिकेट बैंक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस श्रेणी में आते हैं।
- **श्रेणी II:** वे पी एस बी जिन्होंने 2008–16 के दौरान अपनी नेटवर्थ (31 मार्च, 2016 को) के 25 प्रतिशत अथवा अधिक का पूँजी प्रवाह प्राप्त किया था। नौ पी एस बी – बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, आई डी बी आई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया तथा विजया बैंक इस श्रेणी में आते हैं।

नीचे दिए गए चार्ट से प्रत्येक वर्ष के विश्लेषण से पता चलता है कि 2014–15 के अपवाद के साथ (जब पी एस बी की लाभप्रदता के आधार पर पूँजी प्रवाह किया गया था), श्रेणी II पी एस बी की तुलना में श्रेणी I पी एस बी को पूँजी का कम हिस्सा मिला।

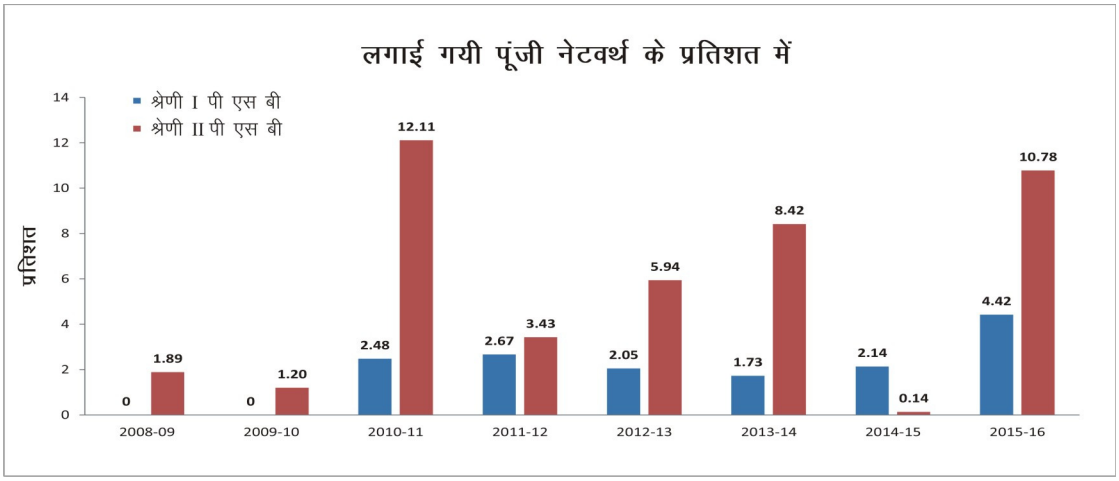

(स्रोतः डी एफ एस के अभिलेख तथा आर बी आई (घरेलू संचालन) से प्राप्त आंकड़ें)

5.3 पूँजीगत प्रवाह और क्रेडिट वृद्धि

जैसा कि पिछले अध्याय I में पहले ही चर्चा हुई है, 2008–09 से 2015–16 तक की अवधि में सभी पी एस बी में क्रेडिट वृद्धि (अग्रिम की वृद्धि) में गिरावट आई थी, जबकि उनमें जी ओ आई द्वारा पूँजीगत प्रवाह किया गया था। लेखापरीक्षा ने दो श्रेणियों में पी एस बी की क्रेडिट वृद्धि दर की तुलना की (श्रेणी I जिसमें भारत सरकार का पूँजी प्रवाह 25 प्रतिशत से कम था तथा श्रेणी II बैंक जिसमें भारत सरकार पूँजी प्रवाह 25 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत से ज्यादा था)। यह देखा गया कि अग्रिमों के विकास की दर, सामान्यतः श्रेणी II पी एस बी के मामले में वर्ग I पी एस बी की तुलना में कम रही है (दो वर्षों 2009–10 तथा 2011–12 को छोड़कर) जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में देखा जा सकता है:

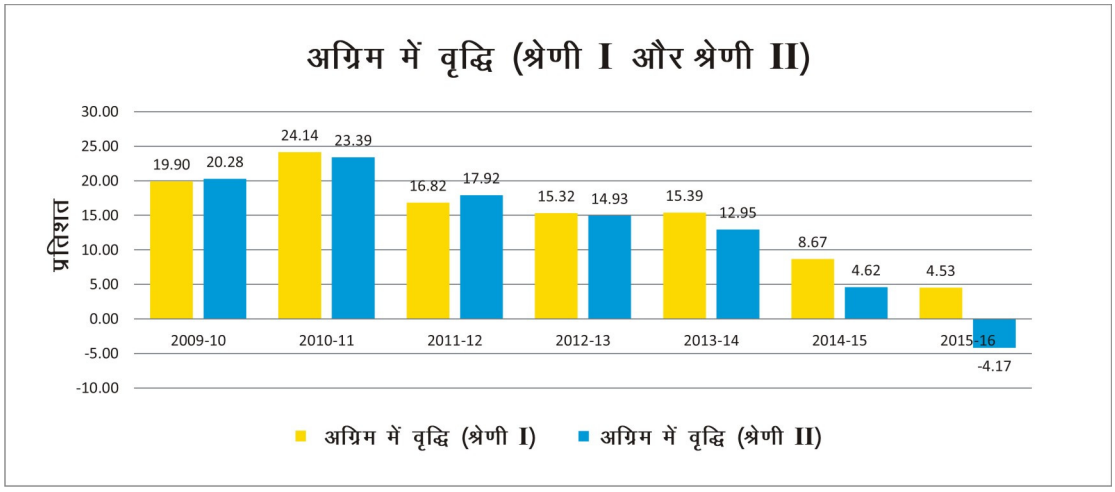

(स्रोतः आर बी आई के आंकड़ें: भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी सारणी)

क्रेडिट वृद्धि में 2014–15 और 2015–16 में तेजी से कमी आई थी जो श्रेणी II पी एस बी के लिए 2015–16 में ऋणात्मक हो गई।

5.4 पूँजी प्रवाह तथा पी एस बी का प्रदर्शन

5.4.1 लाभप्रदता बैंक के प्रदर्शन का एक माप है। किसी बैंक की लाभप्रदता को मापने के लिए सामान्यतया उपयोग में लिए जाने वाले दो मापदण्ड, आस्तियों पर आय (आर ओ ए) तथा इक्विटी पर आय (आर ओ ई) हैं।

- एक पी एस बी का आर ओ ए एक वित्तीय अनुपात है जो बैंक की औसत कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल आय को मापता है। यह इंगित करता है कि बैंक प्रबंधन, लाभ अर्जित करने हेतु अपनी आस्तियों को नियोजित करने में कितना सक्षम है।

- पी एस बी का आर ओ ई बैंक के निवल लाभ से नेटवर्थ का अनुपात है। यह अनुपात बाजार द्वारा जांचा जाता है क्योंकि, बैंक के शेयरधारक आर ओ ई का पता लगाते हैं जो बैंक की कार्यक्षमता को सूचित करता है।

यदि बैंक कमतर प्रदर्शन करता है, उसकी आर ओ ए और आर ओ ई घट जाती है। एक बैंक की कम या नकारात्मक आर ओ ए/आर ओ ई उसकी आंतरिक रूप से लाभ पैदा करने की घटती हुई क्षमता को दर्शाता था। जैसे कि लाभ का एक हिस्सा बैंक आरक्षित निधि एवं इस प्रकार पूँजी को बढ़ाने (लाभांश की अदायगी पश्चात्) में चला जाता है, इसका तात्पर्य है आरक्षित निधि/पूँजी का निम्नतर/अवर्धन होना। इसके अतिरिक्त, एक कम होता हुआ आर ओ ए/आर ओ ई बाजार के विश्वास को कम करता है और बैंक के लिए बाजार से पूँजी जुटाना और अधिक कठिन कर देता है।

5.4.2 जैसा कि पहले ही अध्याय I में उल्लेख किया गया है, आर ओ ए एवं आर ओ ई के आयाम सभी पी एस बी के लिए 2008–09 से 2015–16 की अवधि में घट गए। निम्न चार्ट दिखाता है कि पी एस बी जिन्होंने जी ओ आई के पूँजी प्रवाह का अपेक्षाकृत अधिक शेयर प्राप्त किया (वर्ग II पी एस बी) ने वास्तव में वर्ग I पी एस बी से खराब प्रदर्शन किया :

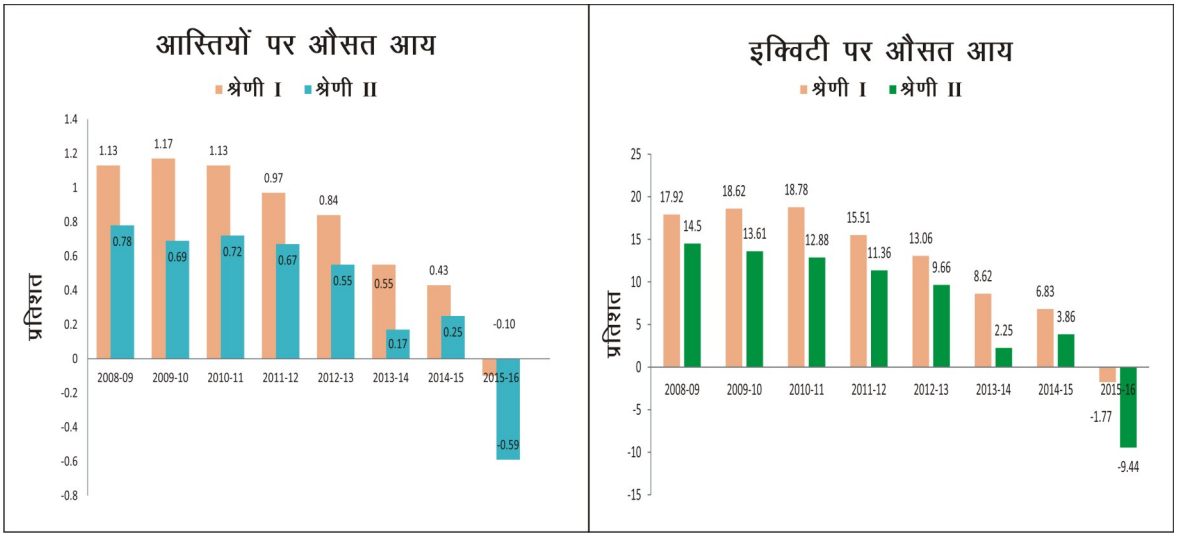

(स्रोतः पी एस बी की वार्षिक रिपोर्ट/प्रजेन्टेशन)

यद्यपि, दोनों श्रेणियों के आर ओ ए एवं आर ओ ई में धीरे–धीरे कमी आई लेकिन श्रेणी II के बैंक की औसत आर ओ ए एवं आर ओ ई श्रेणी I से कम थी;–वित्तीय वर्ष 2016 में श्रेणी I बैंकों की–0.10 प्रतिशत की तुलना में श्रेणी II बैंकों की औसत आर ओ ए–0.59 प्रतिशत थी, जबकि उसी वर्ष में श्रेणी I बैंकों की–1.77 प्रतिशत की तुलना में श्रेणी II बैंकों की औसत आर ओ ई–9.44 प्रतिशत थी। इसलिए, पूँजी प्रवाह (बैंक की नेटवर्थ की तुलना में) का एक उच्च अनुपात बैंक की बेहतर लाभप्रदता में परिवर्तित नहीं हुआ।

5.5 पूँजी प्रवाह एवं भारत सरकार की शेयरधारिता

जैसा कि अध्याय I के पैरा 1.3.2 में दिए गए चार्ट से देखा जा सकता है, सभी पी एस बी में भारत सरकार की शेयरधारिता लगातार बेंचमार्क (दिसंबर 2014 में 52 प्रतिशत निश्चित की गई) से अधिक थी। 31 मार्च 2017 को, भारत सरकार के पास यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की 85.23 प्रतिशत की अधिकतम शेयरधारिता थी, जबकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की 58.38 प्रतिशत की न्यूनतम प्रतिशतता की शेयरधारिता थी। निम्न तालिका पी एस बी को उनमें भारत सरकार के हिस्से के आधार पर वर्गीकृत करती है :

तालिका 5.1: भारत सरकार की शेयरधारिता की सीमा द्वारा पी एस बी का वर्गीकरण

भारत सरकार की शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत में)	पी एस बी
<58	कोई नहीं
>58 एवं <65	आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक
>65 एवं <75	इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, कार्पोरेशन बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक, आई डी बी आई बैंक लि.
>75 एवं <85	बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक
>85	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

(स्रोत: बी एस ई एवं एन एस ई वेबसाइट)

5.6 पी एस बी की पूँजी पर्याप्तता

विनियामक आवश्यकताओं (बेसल मानदंडों/आर बी आई मानदंडों) के अनुसार पूँजी पर्याप्तता को बनाए रखना, पी एस बी में भारत सरकार के पूँजी प्रवाह के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। लेखापरीक्षा ने दोनों श्रेणियों के पी एस बी की पूँजी जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सी आर ए आर) अथवा पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सी ए आर) से पूँजी की तुलना की जैसा अगले पृष्ठ पर दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

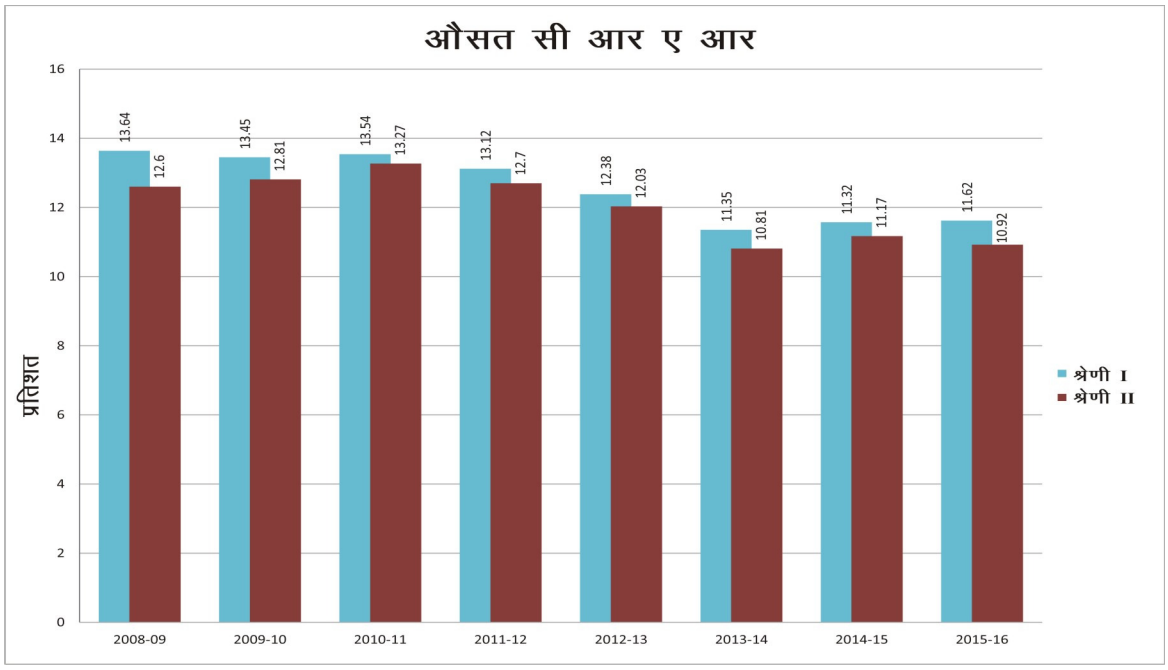

(स्रोतः भारत में बैंकों से संबंधित पी एस बी और सांख्यिकी सारणी की वार्षिक रिपोर्ट (आर बी आई डाटाबेस)

चार्ट इंगित करता है कि श्रेणी II के बैंकों का औसत सी आर ए आर, अपेक्षाकृत अधिक सरकारी पूँजी का अंश लगाने के बाद भी श्रेणी I के बैंकों की तुलना में लगातार कम था। यह देखा गया कि श्रेणी II बैंकों की विनियामक पूँजी पर्याप्तता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार को लगातार पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है। वर्ग II के 9 बैंकों में से छः बैंकों में, नौ वर्षों में से छः साल या उससे अधिक वर्षों में पूँजी निवेश किया गया, जिसकी लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा की गई थी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है :

तालिका 5.2: श्रेणी II पी एस बी और फंड प्रभाव की आवृत्ति

श्रेणी II पी एल बी	फंड प्रभाव की आवृत्ति	पी एस बी की संख्या
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक	समीक्षित 9 वर्षों में से 8	2
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	समीक्षित 9 वर्षों में से 7	1
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आई डी बी आई, आई ओ बी	समीक्षित 9 वर्षों में से 6	3

(स्रोतः डी एफ एस रिकार्ड्स)

यह, इन बैंकों के लिए भारत सरकार के पूँजीगत निवेश पर निर्भरता दर्शाता है।